न्यायालय,अपर समाहर्ता, रॉची।

प्रियम्पसन अपील 32 आर 15/07–08

पार्वती देवी अपीलकर्ता

बनाम

उदयनाथ महतो प्रतिवादी

आदेश

14
9-07-2008

यह अपील प्रियम्पसन वाद संख्या 11/06–07 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची द्वारा दिनांक 3.08.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार (भू हदबंदी एवं अधिकतम सीमा निर्धारण) अधिनियम 1961 की धारा 16(3) के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन स्वीकृत करते हुए वर्तमान अपीलकर्ता को आदेश दिया है कि वे एक माह के अंदर निम्नांकित जमीन प्रतिवादी के नाम निबंधित कर दें।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
सुरीद़	31	250	13.5 डिसमिल
		231	5.5 ,,
		232	1 ,,
		237	6 ,,
		238	1.5 ,,
		कुल	27.5 डिसमिल

अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी दोनों ही छोटानागपुर के कुर्मी महतो समुदाय के सदस्य हैं। इस दृष्टिकोण से जमीन खरीद बिक्री के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है। विवादित जमीन अपीलकर्ता ने घर का जीर्णोद्धार करने के लिए खरीदा है परन्तु अभी तक उन्हें दखल नहीं मिला है। यह जमीन धनीलाल महतो के दखल में है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जमीन खरीद बिक्री के लिए धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्वानुमति आवश्यक है। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इस विन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी विवादित जमीन के सीमान्त रैयत हैं। अतः जमीन खरीदने का प्रथम अधिकार उनका है। इस दृष्टिकोण से निम्न न्यायालय का आदेश सही है।

प्रस्तुत वाद में मूख्य विन्दु यह है कि विवादित जमीन का हस्तांतरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप हुआ है अथवा उसमें उल्लंघन हुआ है। धारा 46 के द्वितीय परन्तुक का खण्ड ' बी' इस प्रकार है :–

" an occupancy raiyat who is a member of the Scheduled Casts or Backward Classes may transfer with the previous sanction of the Deputy Commissioner his right in his holding or portion of his holding by sale, exchange, gift, will or lease to another person who is a member of Scheduled Caste or as the case may be the Backward Classes and who is a resident within the local limits of the district within which the holding is situated."

वर्तमान मामले में विक्रेता मना महतो, जगरनाथ महतो वगैरह हैं और आवेदक उदयनाथ महतो पिता मजगुत महतो हैं जो कुर्मी जाति के अंतर्गत हैं ; यह जाति छोटानागपुर में पिछड़ी जाति के अंतर्गत है जिसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। लेकिन निम्न न्यायालय ने बिना इसके अनुपालन के आवेदक के नाम निबंधित करने का आदेश दिया है।

उपरोक्त दृष्टिकोण से निम्न न्यायालय का आदेश नियम के प्रतिकूल और कानून की नजर में गलत है। अतएव भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रॉची का दिनांक 3.8.2007 का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत किया जाता है।

दिनांकः– 9.07.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0 / –

अपर समाहर्ता,
रॉची।